83

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 621–तीन/2008 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 12–5–2008 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 114/2004–05 अपील

काशीप्रसाद पाण्डेय तनय लल्लीराम
ग्राम गोलहटा तहसील रामपुर वाघेलान
जिला सतना म०प्र० ––आवेदक

विरूद्व

अयोध्याप्रसाद पाण्डेय तनय लल्लीराम
ग्राम गोलहटा तहसील रामपुर वाघेलान
जिला सतना म०प्र० ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 7–08–2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 114/2004–05 अपील में पारित आदेश दिनॉक 12-5-2008 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने सामिलाती भूमि स्थित मौजा गोलहटा सर्वे क्रमांक 946/1 एंव 946/2 के बटवारे का आवेदन नायव तहसीलदार कोटर को प्रस्तुत किया। नायव तहसीलदार वृत्त कोटर तहसीलदार रामपुर वाघेलान ने प्र0क0 15 अ 6 अ/ 99-2000 पॅजीबद्व किया तथा उभय पक्ष की सुनवाई कर आपसी समन्वय स्थापित होने के आधार

पर आदेश दिनांक 17-5-2004 पारित किया तथा दोनों पक्षों के बीच बटवारा स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, रामपुर वाघेलान के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने प्र0क0 63/2003-04 अपील में पारित आदेश दि0 14-2-2005 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0 क0 114/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनॉक 12-5-2008 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आराजी क्रमांक 946/1 रकबा 3.78 एकड़ के खसरे में कैफियत के कालम में महुआ के पेड़ लिखे हैं जो आवेदक के स्वत्व एंव स्वामित्व के होकर आवेदक के कब्जे में पूर्व से चले आ रहे हैं किन्तु इन पेड़ो के इन्द्राज पर एंव कब्जे के सम्बन्ध में ध्यान न देने में एंव असमान बटवारा करने में भूल की गई है और इन्हीं तथ्यों पर अपीलीय न्यायालयों ने भी गौर नहीं किया है इसलिये तीनों न्यायालयों के आदेश निरस्त किय जाकर अभिलिखित पेड़ आवेदक के नाम किये जावें।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है बटवारा करने के पूर्व आवेदक को पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया गया है तथा बटवारा दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर हुआ है इसलिये तीनों न्यायालयों के आदेश सही है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के तथा अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के आदेश दिनांक 14-2-2005 के अवलोकन से परिलक्षित है कि उन्होंने आदेश में इस प्रकार विवेचना कर निष्कर्ष दिया है :-

'' आवेदक द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत से प्राप्त सत्य प्रतिलिपि की छायाप्रति का ही खंडन किया गया है। प्रस्तुत सत्य प्रतिलिपि की छायाप्रति जो अधीनस्थ न्यायालयय के प्रकरण में संलग्न है स्पष्ट उल्लेखित है कि 3 पेड़ महुआ के जो गोलहटा में है अयोध्याप्रसाद को प्राप्त है । कथित बटनवारा प्रथम को दृष्टिगत रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में रे.नि. 1991 पेज 303 गंगावाई विरूद्व प्रेमसिंह में स्पष्ट किया गया है कि पश्चातवर्ती कार्यवाही में पूर्व के समझौते से इंकार नहीं किया जा सकता है। चूँकि अपीलांट पूर्व के समझौते को अन्यथा सावित करने में असफल होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता उचित प्रतीत नहीं होती है। ''

सामान्य नियम है कि समझौते के आधार पर पारित आदेश के विरूद्व अपील अग्राह्य रहती है इसी आशय का निष्कर्ष अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 114/2004–05 अपील में पारित आदेश दिनॉक 12-5-2008 में है । तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 114/2004–05 अपील में पारित आदेश दिनॉक 12-5-2008 उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर